दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.51/2024	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.6.2024	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी महिपाल सिंह पुत्र दलपत सिंह जी राव, जाति– राव, निवासी– कारोली, तहसील– देलदर, जिला– सिरोही, खाद्य पदार्थ एवं मालिक, फर्म बाबा रामदेव होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट, मुखरी माता के सामने, तलहटी, तहसील– आबूरोड, जिला– सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 03.11.2023 को फर्म बाबा रामदेव होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट, मुखरी माता के सामने, तलहटी, तहसील– आबूरोड, जिला– सिरोही में प्रतिवादी महिपाल सिंह पुत्र दलपत सिंह जी राव से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना संख्या S-2242 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक L.S./2964/Act/2023/3007 दिनांक 16.11.2023 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी कर विधिवत तामिल करवाया गया, लेकिन प्रतिवादी महिपाल सिंह को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुआ। ऐसी स्थिति मे, प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाकर प्रकरण का पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसार गुणावगुण पर निर्णय किया जा रहा है। हमने पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 03.11.2023 को समय 4.30 पी.एम. पर फर्म बाबा रामदेव होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट, मुखरी माता के सामने, तलहटी, तहसील– आबूरोड, जिला– सिरोही में खाद्य पदार्थों के निरीक्षण के दौरान बाबा रामदेव होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट के अन्दर खाद्य सामग्री निर्माण स्थल मे रखे हुये खाद्य पदार्थ पनीर लगभग 4 किलोग्राम मे मिलावट का शक होने पर उक्त खाद्य पदार्थ पनीर में से एक किलोग्राम पनीर को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष एक साफ, सूखे व खाली बर्तन मे कीमतन क्रय किया एवं खरीदशुदा खाद्य पदार्थ पनीर को हिला मिलाकर एकरुप कर चार साफ, सूखी, खाली शीशीयों मे बराबर बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्येक शीशी मे 20–20 बूंदे फार्मेलीन की डालकर इन चारों शीशीयों को ढक्कनों से एयरटाईट बन्द कर ......लगातार	

अति. जिला कलक्टर
सिरोही–307001.

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.51/2024	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

विधिवत कार्यवाही करते हुए नियमानुसार लेबल आदि तैयार कर लेबलों पर प्रतिवादी विक्रेता महिपाल सिंह व गवाह के हस्ताक्षर करवाते हुए आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव स्वयं द्वारा हस्ताक्षर किये गये तथा इन लेबलों को चारों नमूना शीशीयों पर नियमानुसार चिपकाया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने चारों नमूना शीशीयों को कागज में लपेट कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सील चपडी किया। तत्पश्चात् खाद्य पदार्थ पनीर की चारों नमूना शीशीयों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता महिपाल सिंह व गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 06.11.2023 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री चन्दन दास, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 06.11.2023 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म बाबा रामदेव होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट, मुखरी माता के पास, तलहटी, तहसील–आबूरोड़, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता महिपाल सिंह पुत्र दलपत सिंह जी राव से खाद्य पदार्थ पनीर को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ पनीर के नमूना संख्या S-2242 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक: L.S./2964/Act/2023/3007 दिनांक 16.11.2023 में खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना अमानक (sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी महिपाल सिंह पुत्र दलपतसिंह राव ने अमानक खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय

.......लगातार

न्याया. प्रा. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

पीठा. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Scanned with ACE Scanner

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.51/2024	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः हस्तगत न्याय निर्णयन आवेदन विरुद्ध प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 को स्वीकार किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर के विक्रय हेतु प्रतिवादी महिपाल सिंह पुत्र दलपत सिंह जी राव, जाति– राव, निवासी– कारोली, तहसील– देलदर, जिला– सिरोही, खाद्य पदार्थ एवं मालिक, फर्म बाबा रामदेव होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट, मुखरी माता के सामने, तलहटी, तहसील– आबूरोड़, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 50,000/– (अक्षरे रुपये पचास हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी महिपाल सिंह पुत्र दलपत सिंह जी राव, जाति– राव, निवासी– कारोली, तहसील– देलदर, जिला– सिरोही, खाद्य पदार्थ एवं मालिक, फर्म बाबा रामदेव होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट, मुखरी माता के सामने, तलहटी, तहसील– आबूरोड़, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 19.7.2024 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Scanned with ACE Scanner